सीएम के आज होने वाले संभावित भमण को लेकर प्रभारी डीएम ने की बैठक

मुंगेर (आससे)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के छठ पर्व के अवसर पर आगामी 15 एवं 16 नवम्बर 2026 को मुंगेर जिला अंतर्गत संभावित भ्रमण कार्यक्रम तथा लोक आस्था के महापर्व छठ को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रभारी जिला पदाधिकारी सुमन कुमार साह एवं पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संजय कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के संभावित भ्रमण के दौरान विभिन्न छठ घाटों पर प्रस्तावित निरीक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही जिले के सभी छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता,



बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं विधि-व्यवस्था संधारण सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

प्रभारी जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी छठ घाटों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा एवं सुविधा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। घाटों की साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग तथा खतरनाक स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी तत्परता एवं मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने का निर्देश दिया।

प्रशासन की अपील : पर्व के दौरान श्रद्धालु प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित एवं निर्धारित घाटों पर ही पूजा-अर्चना करें। प्रशासन द्वारा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

लोक शिकायत के निष्पादन में अनावश्यक विलंब बर्दास्त नहीं : जिला पदाधिकारी

बांका (आससे)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की गई। आज की सुनवाई हेतु कुल 07 मामले उपस्थापित किए गए, जिनमें विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान प्रमुख कार्रवाई एवं निर्देश निम्नवत् रहे- विद्युत विपत्र (इलेक्ट्रिसिटी बिल) में सुधार से संबंधित 01 मामले में, अपीलार्थी के आवेदन के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए 59,813 की राशि का सुधार किया गया। जर्जर विद्युत तारों को बदलने से संबंधित परिवाद पर कार्यपालक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिकता के आधार पर एबि केंबुल (एरियल बंच्ड केबल) लगाने हेतु विभाग को अनुरोध भेजा गया है। वहीं भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 04 मामलों में संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय नियमों एवं प्रावधानों के तहत अतिक्रमण वादों का समयबद्ध और निष्पक्ष निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन, बांका द्वारा लोक शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निष्पादन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही के मामलों में संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मारपीट मामले में पांच पर प्राथमिकी

हवेली खड़गपुर (आससे)। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के महादेवपुर में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पांच व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि महादेवपुर निवासी टिंकू मंडल द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिसमें टिंकू मंडल ने गांव के ही कन्हैया मंडल, ऋषि मंडल, नीलम देवी, दीपक मंडल और साहेब मंडल पर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

बिहार सरकार

समाहरणालय, जहानाबाद
अल्पकालीन सूचना
(जिला विधि शाखा)

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित, 2018) के अन्तर्गत जप्त वाहनों के मालिकों के लिए नोटिश:–

एतद द्वारा निम्नलिखित वाहनों के मालिक को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018 एवं 2022) के अन्तर्गत शराब के परिवहन के आरोप में जप्त वाहनों के मालिक को इस नोटिस के द्वारा संबंधित वाहन के मालिक/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधित) नियमावली, 2023 (क) नियम 12 (क) के उप नियम (2) का वाद में निहित उपबंधों के आलोक में प्रपत्र–4 में अपना आवेदन बीमाकृत मूल्य के 10% से कम और 05 (पाँच) लाख रूपये से अधिक नहीं होगी। शास्ति (Penalty) की राशि खाते में जमा कराकर वाहन को छोड़ाने हेतु (यदि आप वाहन छोड़ाना चाहते हों तो) सुनवाई की निर्धारित तिथि कंडिका–07 एवं 08 के अंदर अपना आवेदन अपने न्यायालय प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा–सह–प्राधिकृत पदाधिकारी (मद्यनिशेध राजसात) जहानाबाद में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र0 सं0	वाहन का पंजीयन संख्या	वाहन/परिसर का प्रकार	संबंधित थाना का नाम	थाना कांड संख्या	वाहन स्वामी का नाम/पता	सूनवाई की प्रथम तिथि	सूनवाई की द्वितीय तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GJ33T-4337	सुजुकी डिजायर कार	हुलासगंज	52/2025	श्री किहाला भरत भाई, पिता श्री पुरूषोतम भाई, साकिन–गढ़ाली पूर्व, थाना–गढ़ाडा, जिला–बोटाड, राज्य–गुजरात, पिन नं0–364750	17.11.2026	30.11.2026

निर्धारित अवधि तक कोई दावा/पक्ष व कागजात प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वाहन से आपका कोई सरोकार नहीं, तदनुसार उक्त जप्त वाहन को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार अधिहरित कर नीलाम कर दिया जायेगा। समय सीमा के बाद कोई सुनवाई मान्य नहीं होगी।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR. No. 015339 (LAW) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, जहानाबाद

500 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और साड़ियों का वितरण

जमुई (आससे)। लोक आस्था के महापर्व छठ के पावन अवसर पर जमुई शहर के पुरानी बाजार स्थित ऐतिहासिक श्री नरसिंह मंदिर प्रांगण में एक भव्य और सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर के संस्थापक सह जमुई विधिज्ञ संघ के महासचिव अमित कुमार और उनकी धर्मपत्नी रचना शर्मा द्वारा 500 छठव्रतियों के बीच पूजन सामग्री और उपहारों का वितरण किया गया। ?इस सेवा कार्य का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के कर-कमलों से हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमला प्रसाद जिलाधिकारी नवीन कुमार , पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल , अपर पुलिस अधीक्षक शेखपुरा राकेश कुमार और मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक सुभाष कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने इस सामाजिक और धार्मिक पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

?आयोजक अमित कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से लगातार छठव्रतियों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी यह सेवा भाव निरंतर जारी रहेगा। इस पवित्र अनुष्ठान में छठव्रतियों को पारंपरिक डलिया , साड़ी , फल , फूल , अगरबत्ती और शृंगार सामग्री सहित सभी आवश्यक पूजन सामग्री भेंट की गई। उपहार पाकर छठव्रतियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने आयोजकों को हृदय से आशीर्वाद व दुआएं दीं। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद नीतीश कुमार , अधिवक्ता सचिदानंद सिंह , राजीव पटेल , परिमल सिंह , रामनिवास यादव , दिवाकर सोनी , राजीव केसरी , उज्जवल दीप और उत्तम दीप सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।

सूर्योपासना का महापर्व आपसी सौहार्द, शांति एवं भाईचारे के साथ मनायें : डीएम

बांका (आससे)। समाहरणालय स्थित सभागार, में पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला दंडाधिकारी के संयुक्त अध्यक्षता में महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में छठ की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधा और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी आपात स्थिति या आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो। इसके तहत प्रमुख नदी व संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की तैनाती, स्वास्थ्य सेवा, अग्निशामक (फायर ब्रिगेड), और नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) पूरी तरह सक्रिय रहेंगे। शहरी एवं व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं इसके साथ ही छठ पर्व के दौरान सुगम यातायात सुनिश्चित करने हेतु पंजवारा, धोरैया, रजौन, बेलहर, चान्दन और अमरपुर क्षेत्रों के सभी भारी व मालवाहक



वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिले के सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्षों सहित स्वास्थ्य, खनन, परिवहन, मद्य निषेध व अन्य सभी संबंधित विभागों के ज़िलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बाँका जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि छठ महापर्व को आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें—प्रशासन हर स्तर पर आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना।

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–14 वर्ष 2026–27

चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नलिखित कार्यो के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जो अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना, एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 21.11.2026 के अपराहन 12:00 अपराहन बजे तक प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन 3:30 बजे अपराहन में कोटेशनदाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।

कार्य का विवरणी :–

क0	सामग्री का नाम एवं विशिष्टयॉ	मात्रा	इकाई	उद्वत की जानेवाली दर
1.	Name of Work – Supply of printed forms, office Stationary and Computer accessories to Office of The Executive Engineer, Gardanibagh Building Division, Patna for th e year 2026-27 (Part-B)			
	(i) Table calculator (Deli model no-W-39231)	6 nos	Each	
	(ii) Whitener (Kores, Eraser)	10 nos	Each	
	(iii) Fly leaf (Thick good quality with cloth strips at fold)	700 nos	Each	
	(iv) Fly leaf (Thick Medium quality with cloth strips at fold)	1500 nos	Each	
	(v) Fly leaf (Thick Odinary quality)	1500 nos	Each	
	(vi) General Register(4 Zista)	36 nos	Each	
	(Vii) General Register(6 Zista)	36 nos	Each	
	(Viii) Fancy Register(4 Zista)	4 nos	Each	
	(ix) Issue Register(6 Zista)	4 nos	Each	
	(x) Dairy Register(6 Zista)	4 nos	Each	
	(xi) Acutance roll (4 zista)	12 nos	Each	
	(xii) Peon Book (2 zista)	12 nos	Each	
	(xiii) Dak Pad			

➢ कार्य समाप्ति की अवधि : 15 दिन

➢ विशेष जानकारी हेतु बेबसाईट बेबसाईट **state.bihar.gov.in/prdbihar** देखें या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यावधि में सम्पर्क करें।

PR- 015358 (B C D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यपालक अभियंता,
गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, भ0नि0वि0, पटना

समानता, सद्भाव व प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है महापर्व छठ

स्वच्छता से लेकर सामाजिक एकता तक की दिखती है अनूठी मिसाल

अकबरनगर(आससे)। लोक आस्था का महापर्व छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान और सूर्योपासना का पर्व नहीं,बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता,पर्यावरण संरक्षण,सामाजिक समानता और आपसी सद्भाव का भी अनूठा संदेश देता है। अकबरनगर के मोहित कुमार कहते है कि,चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आस्था,अनुशासन,पवित्रता और सामूहिक सहभागिता की ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है,जहां जाति,वर्ग और आर्थिक हैसियत के सारे भेदभाव पीछे छूट जाते हैं। अमीर हो या गरीब,हर कोई सिर पर पूजन सामग्री से भरा दउरा लेकर एक ही घाट पर पहुंचता है और अस्ताचलगामी तथा उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी और स्वच्छता है। पर्व की तैयारी घरों से लेकर गलियों,मोहल्लों और छठ घाटों तक दिखाई देती है। लोग स्वयं सफाई में जुटते हैं और सामूहिक प्रयास से घाटों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाते हैं। इस दौरान नदियों,तालाबों और जलस्रोतों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बांस से बने सूप,दउरा,मिट्टी के चूल्हे और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग इस पर्व को प्रकृति के और करीब लाता है। भगवान सूर्य और जल की उपासना के माध्यम से यह पर्व मानव जीवन में प्रकृति के महत्व को भी रेखांकित करता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना की जाती है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है,जो समस्त जीव-जगत को ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे



मन और पूरी निष्ठा से सूर्योपासना करने पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख-शांति एवं समृद्धि आती है। यही वजह है कि इस कठिन व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। यदि कोई व्रती असमर्थ हो जाए तो परिवार के अन्य सदस्य इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। पहले दिन व्रतियों ने स्नान कर शुद्धता के साथ कद्दू की सब्जी, चावल और रोटी ग्रहण कर अनुष्ठान की शुरुआत की। शनिवार को खरना का आयोजन होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर संध्या में गुड़ और चावल से बनी खीर तथा घी लगी रोटी का भोग छठी मैया को अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों के बीच वितरित किया जाएगा।रविवार को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे, जबकि सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होगा। अर्घ्य के लिए सूप और दउरा में ठेकुआ,फल,नारियल,केला,गन्ना और अन्य पूजन सामग्री सजाई जाती है। इस दौरान पूरा वातावरण छठ गीतों से भक्तिमय हो उठता है। घरों से लेकर घाटों तक पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है।छठ पर्व में ठेकुआ का विशेष महत्व है। गेहूं के आटे,गुड़ या चीनी और घी से तैयार यह पारंपरिक प्रसाद छठ की पहचान माना जाता है। इसकी तैयारी में भी शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पर्व की एक विशेष परंपरा दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक पहुंचना भी है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति और संकल्प के तहत घर से घाट तक जमीन पर दंडवत करते हुए पहुंचते हैं। इस कठिन साधना में श्रद्धालु पहले सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और फिर शरीर को जमीन पर सीधा लिटाकर आगे की दूरी तय करते हैं। यह प्रक्रिया घाट तक पहुंचने तक दोहराई जाती है।

इसे श्रद्धा, संयम और संकल्प की कठिन परीक्षा के रूप में देखा जाता है।व्रती माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, परिवार की सुख-समृद्धि और शांति के लिए यह कठिन व्रत करती हैं। वहीं, परिवार के अन्य सदस्य भी साफ-सफाई,प्रसाद तैयार करने और घाटों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। इस तरह छठ केवल व्रती का व्यक्तिगत अनुष्ठान नहीं रह जाता,बल्कि पूरे परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधने वाला पर्व बन जाता है।दरअसल, छठ का वास्तविक संदेश केवल सूर्य को अर्घ्य देने तक सीमित नहीं है। यह पर्व सिखाता है कि प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं,स्वच्छता के बिना पवित्रता अधूरी है और सामाजिक एकता के बिना उत्सव की पूर्णता नहीं है। यही कारण है कि छठ महापर्व आस्था के साथ-साथ समानता,सद्भाव,अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण की जीवंत मिसाल बनकर समाज को सकारात्मक दिशा दिखाता है।

योजना एवं विकास विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, जमुई।
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–14/2026–27
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग/निगम/अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ख्याति के किसी भी एजेंसी में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से प्रतिशत दर निविदा दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। यदि संवेदक बिहार राज्य के किसी कार्य विभाग/निगम में पूर्व से निबंधित नहीं है, तब एकारारनामा के पूर्व निम्नलिखित कार्य का स्वीकार पत्र (लेटर ऑफ एक्सेपटेंस) प्राप्त होने के बाद बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग/निगम (जिसमें निबंधन की प्रक्रिया लागू हो) में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

1. कार्यों की विवरणी : –

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (ऑन लाईन मोड या ऑफ लाईन मोड में केवल B.G. के रूप में (रूपये में)	परिमाण–विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान) (रूपये में)	बीड प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रत्यर्पणीय केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान) (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
01.	02	03	04	05	06	07
1	जमुई जिला अन्तर्गत लक्ष्मीपुर प्रखण्ड के **मोहनपुर पंचायत** में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य।	98.59143	197200.00	10000.00	e-proc 2 के वेब पेज के अनुसार	14 माह
2	जमुई जिला अन्तर्गत लक्ष्मीपुर प्रखण्ड के **गौरा पंचायत** में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य।	55.87995	111800.00	10000.00	e-proc 2 के वेब पेज के अनुसार	14 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक –06.11.2026
3. निविदा कागजात अपलोड करने की प्रारम्भिक की तिथि एवं समय : दिनांक 02.12.2026 को 10.00 बजे पूर्वाहन से। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री–बीड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक 18.11.2026 समय 1:00 बजे अपराहन मुख्य अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विरवेश्वरैया भवन, चतुर्थ तल, कमरा नं0–423, बेली रोड, पटना–800015
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 07.12.2026 समय 3.00 बजे अपराहन तक। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 10.12.2026 समय 3.30 बजे अपराहन से। (कंडिका 5 में उल्लेखित अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस के पश्चात् की तिथि)। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन(निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद) कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, कार्य प्रमंडल–01, जमुई।
10. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई–मेल आई0डी0–eproc2support@bihar.gov.in, Working Hours 8:00 am to 7:00 pm से प्राप्त किया जा सकता है। ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी eproc2.0 helpdesk, Address-mjunction services ltd., R.J. Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna-800014 से प्राप्त किया जा सकता है।
11. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल01, जमुई

PR- 015407 (Planning) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

चोरी एवं गुम 102 मोबाइल ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने किया बरामद

नवगछिया(आससे)। भागलपुर जिला के नवगछिया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लाख रुपये के मोबाइल बरामद किए गए हैं। बिहार समेत कई राज्यों में चलाया गया तकनीकी अभियान 2026 में अब तक 211 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे गए। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी को लेकर नवगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने विशेष तकनीकी अभियान चलाकर कुल 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है। नवगछिया एसपी वैभव शर्मा ने प्रेसवार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थानों में दर्ज सनहा और प्राप्त शिकायतों के आधार पर गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की तलाश कर रही थी। इसके लिए पुलिस की तकनीकी शाखा ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर, तकनीकी साक्ष्य और उपलब्ध संसाधनों की मदद से अनुसंधान किया। लगातार प्रयास के बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। बरामद किए गए मोबाइल फोन को आवश्यक सत्यापन एवं विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिया गया। लंबे समय से मोबाइल खोने या चोरी होने से परेशान लोगों को जब उनका मोबाइल वापस मिला तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली।

छठ घाटों की तैयारी युवाओं के कंधे,गहरे पानी में अर्घ्य देने की कोई इंतजाम नहीं

सन्हौला/ भागलपुर(आससे)। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर जिले के सन्हौला प्रखंड के विभिन्न घाटों पर तैयारियां चल रही हैं। कहीं युवा साफ-सफाई कर रहे हैं तो कहीं जेसीबी से रास्ता बनवा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में वे आपसी सहयोग से घाटों को तैयार कर रहे हैं। भूड़िया नदी घाट पर कई जगह गहरा पानी है,लेकिन खतरनाक स्थानों पर बैरिकेडिंग नहीं कराई गई है। रविवार को पहले अर्घ्य पर बड़ी संख्या में व्रती,श्रद्धालु और बच्चे पहुंचेंगे। युवाओं ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए बैरिकेडिंग की मांग की है। यहां भूड़िया छठ मैया समिति के सदस्य और ग्रामीण आपसी सहयोग से रास्ता, लाइट और साफ-सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है।

वहीं छिटका नदी घाट तक पहुंचने के लिए समुचित रास्ता नहीं है। एक युवा ने बताया कि पहले वे नदी घाट पर पूजा करते थे, लेकिन



रास्ते और सुविधाओं की कमी के कारण अब गांव के पोखर में पूजा करते हैं। पोठिया घाट पर युवा और ग्रामीण जेसीबी से रास्ता बनवाने,साफ-सफाई और अन्य इंतजाम में जुटे हैं। उनका कहना है कि यहां भी प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। प्रखंड मुख्यालय के छठ घाटों पर युवा समाजसेवी अविनाश यादव ने रास्ता,लाइट और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कराई है। उन्होंने बताया कि घाटों पर सभी इंतजाम उन्होंने खुद कराए हैं। इसमें प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। घाटों की समस्याओं को लेकर बीडीओ कन्हैया कुमार को भूड़िया में गहरे पानी और बैरिकेडिंग की कमी के साथ अन्य घाटों पर रास्ते की समस्या बताई गई। उन्होंने कहा कि कहीं कोई कमी है तो उसे दिखवा लेते हैं। उन्होंने स्वयं घाटों का निरीक्षण करने जाने की बात भी कही।

रविवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में प्रशासन के सामने इन समस्याओं को दूर करने की चुनौती है। खासकर भूड़िया घाट पर गहरे पानी वाले स्थानों पर समय रहते बैरिकेडिंग और सुरक्षा के इंतजाम हो पाते हैं या नहीं, यह देखना होगा।

बहंगी में सजेगी भारतीय संस्कृति , सूर्य की पहली किरण के इंतजार में परवैतिन

जमुई (आससे)। 'कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय...', 'केलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़राय...', 'मारबौ रे सुगवा धनुष से...'। ये केवल लोकगीत नहीं , बल्कि पीढ़ियों की स्मृतियों , मिट्टी की सुगंध और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का जीवंत एहसास है। इनके स्वर जब उठते हैं तो सरहदें छोटी पड़ जाती हैं , दूरियां सिमट जाती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा भारतीय अपने गांव , घर-आंगन और पुरखों की परंपरा से जुड़ जाता है। गंगा , गंडक , कोसी और सोन के किनारे से उठी लोकआस्था की यह धारा आज सात समंदर पार भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ प्रवाहित हो रही है। भारत के महानगरों से लेकर मॉरीशस , फिजी , त्रिनिदाद , सूरीनाम , अमेरिका , ब्रिटेन , कनाडा , ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों तक छठी मइया के गीत गूंजते हैं। कहीं नदी का किनारा घाट बनता है तो कहीं झील , समुद्र तट , कृत्रिम जलकुंड और सामुदायिक स्विमिंग पूल आस्था के केंद्र बन जाते हैं। परिवेश बदलता है , भूगोल बदलता है , लेकिन बहंगी , ठेकुआ , गन्ना और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा नहीं बदलती है।

यही छठ की सबसे बड़ी शक्ति है। छठ महापर्व केवल सूर्य की उपासना का अनुष्ठान नहीं , बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता , नारी के संकल्प , परिवार की मंगलकामना , किसान के पुरुषार्थ और सामाजिक समरसता का ऐसा विराट उत्सव है , जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को प्रणाम करता है। यहां भगवान के सामने सोना-चांदी नहीं , बल्कि धरती की उपज चढ़ाई जाती है। कोई भव्य प्रतिमा नहीं , बल्कि आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य को देवता मानकर अर्घ्य दिया जाता है। कोई जाति-वर्ग का भेद नहीं , कोई अमीरी-गरीबी की दीवार नहीं। सभी एक ही जल में खड़े होकर जीवनदाता सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जी हां , जहां भी भारतीय का मन अपनी मिट्टी को याद करता है , वहां छठ का घाट सज जाता है। सूर्य भले ही दुनिया के किसी भी कोने से दिखाई दे , अर्घ्य में झलकती आस्था भारतीय ही रहती है। सच तो यह है कि छठ किसी एक नदी , शहर , राज्य अथवा देश का पर्व नहीं रह गया है। यह उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है , जो मनुष्य को अपनी